रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 791] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 1992/अग्रहायण 25, 1914
No. 791] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 1992/AGRAHAYANA 25, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1992

का.आ. 913(अ)—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले, अर्थात् 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे के गिराए जाने की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक जांच आयोग नियुक्त करती है जिसमे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मन मोहन सिंह लिब्रहान होंगे।

2 आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में जांच करेगा —

(क) 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद परिसर में परिणत होने वाले घटनाक्रम और उससे संबंधित सभी तथ्य और परिस्थितियां जिनके अंतर्गत राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद ढांचे का गिराया जाना भी है,

(ख) राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराए जाने में या उसके सम्बंध में मुख्य मंत्री, मंत्रिपरिषद् के सदस्यों, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों और व्यक्तियों, संबंधित संगठनों और अभिकरणों द्वारा निभाई गई भूमिका,

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यथाविहित या व्यवहार में लाए गए सुरक्षोपायों और अन्य व्यवस्थाओं में कमी जिनके परिणामस्वरूप 6 दिसम्बर, 1992 को राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद परिसर, अयोध्या नगर और फैजाबाद में उन घटनाओं की परिणति हुई जो वहां हुई,

(घ) 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में प्रचार माध्यम से संबद्ध व्यक्तियों पर हमले में परिणत होने वाले घटनाक्रम और उससे संबंधित सभी तथ्य और परिस्थितियां, और

(ङ) जांच के विषय से संबद्ध कोई अन्य विषय।

3. आयोग अपनी रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार को यथाशीघ्र किन्तु तीन मास के अपश्चात् प्रस्तुत करेगा।

4. यदि आयोग ठीक समझे तो वह पूर्वोक्त पैरा 2 में वर्णित विषयों में से किसी भी विषय पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट उक्त तारीख के पूर्व केन्द्रीय सरकार को दे सकेगा।

5. आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

6. केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच के स्वरूप और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5)

के सभी उपबंध उक्त आयोग को लागू किए जाएं और केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उस धारा की उक्त उपधारा (2), उपधारा (3) उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबन्ध आयोग को लागू होंगे।

[सं. एन. 71013/27/92-ए. आई.-I]
माधव गोडबोले, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 1992

S.O. 913(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the destruction of the Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid structure at Ayodhya on 6th December, 1992.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government thereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Justice Shri Manmohan Singh Liberhan, a sitting Judge of the High Court of Punjab and Haryana.

2. The Commission shall make an inquiry with respect to the following matters :—

(a) The sequence of events leading to, and all the facts and circumstances relating to, the occurrences in the Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid complex at Ayodhya on 6th December 1992 involving the destruction of the Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid structure;

(b) The role played by the Chief Minister, Members of the Council of Ministers, officials of the Government of Uttar Pradesh and by the individuals, concerned organizations and agencies in, or in connection with, the destruction of the Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid structure;

(c) The deficiencies in the security measures and other arrangements as prescribed or operated in practice by the Government of Uttar Pradesh which might have contributed to the events that took place in the Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid complex, Ayodhya town and Faizabad on 6th December, 1992;

(d) The sequence of events leading to, and all the facts and circumstances relating to, the assault on media persons at Ayodhya on 6th December, 1992; and

(e) Any other matters related to the subject of inqiury.

3. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than three months.

4. The Commission may, if it deems fit, make interim reports to the Central Government before the said date on any of the matters mentioned in paragraph 2 above.

5. The headquarters of the Commission shall be at Lucknow.

6. The Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the said Commission and the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, hereby directs that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[No. N–71013/27/92–AY-I]
MADHAV GODBOLE, Home Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992